

¹[नियम 16क : अस्थायी पहचान संख्या प्रदान करना]

जहाँ कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई संदाय करना अपेक्षित है, उचित अधिकारी उक्त व्यक्ति को एक अस्थायी पहचान संख्या प्रदान कर सकता है और प्ररूप जीएसटीआर. ई. जी.-12 के भाग ख में आदेश जारी कर सकता है।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 07/2025-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2025 द्वारा नियम 16क अंतःस्थापित। यह संशोधन प्रभावशील नहीं किया गया है।